सं0-286जे0एल0/22-3-2025-ई-1944045

प्रेषक,

अनीस अख्तर अंसारी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 02 जुलाई 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार-2 बरेली में निरूद्व सिद्वदोष/विचाराधीन 08 बंदियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-25144/सामा-1(5)/115/बन्दी स्था0/2025, दिनांक 19-06-2025 में की गई संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार-2 बरेली में निरूद्ध निम्न तालिका में उल्लिखित सिद्वदोष/विचाराधीन 08 बंदियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित कारागारों में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	बंदी का नाम/ पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	कारागार का नाम जहां स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4
1.	विचाराधीन/सिद्वदोष बंदी पवन पुत्र श्री राम अवतार	केन्द्रीय कारागार-2 बरेली	जिला कारागार, देवरिया
2.	विचाराधीन बंदी पूरनलाल गंगवार उर्फ पूरनलाल पुत्र श्री हरदयाल	केन्द्रीय कारागार-2 बरेली	जिला कारागार, महाराजगंज
3.	विचाराधीन बंदी अर्जुन पुत्र श्री हरदयाल	केन्द्रीय कारागार-2 बरेली	जिला कारागार, बस्ती
4.	विचाराधीन बंदी विपिन पुत्र श्री राम अवतार	केन्द्रीय कारागार-2 बरेली	जिला कारागार, महाराजगंज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.	विचाराधीन बंदी सिपिन पुत्र श्री राम अवतार	केन्द्रीय कारागार-2 बरेली	जिला कारागार, गोरखपुर
6.	विचाराधीन बंदी गौरव पुत्र श्री भिखारी लाल	केन्द्रीय कारागार-2 बरेली	जिला कारागार, गोण्डा
7.	विचाराधीन बंदी बृजेश कुमार उर्फ बिरजू पुत्र श्री लालता प्रसाद उर्फ परमेश्वर	केन्द्रीय कारागार-2 बरेली	जिला कारागार, सोनभद्र
8.	विचाराधीन बंदी देवेन्द्र पुत्र श्री डोरीलाल	केन्द्रीय कारागार-2 बरेली	जिला कारागार, मिर्जापुर

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3-अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4-जिला मजिस्ट्रेट, बरेली/देवरिया/महाराजगंज/बस्ती/गोरखपुर/गोण्डा/सोनभद्र/मिर्जापुर/पीलीभीत।

5-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिसअधीक्षक, बरेली/देवरिया/महाराजगंज/बस्ती/गोरखपुर/गोण्डा/सोनभद्र/मिर्जापुर/पीलीभीत।

6-वरिष्ठ अधीक्षक/ अधीक्षक,जिला कारागार, बरेली/देवरिया/महाराजगंज/बस्ती/गोरखपुर/गोण्डा/सोनभद्र/मिर्जापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों के कॉलम-4 में उल्लिखित कारागार में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in